25-3-25 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित।
उभयपक्षों द्वारा राजीनामा पूर्व पेश किया गया
तस्दीक करा मुताबिक राजीनामा तथा
वारिसान [illegible] [illegible] [illegible] निर्णय एवं डिक्री
प्रस्तुत [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible]
गये तथा उभय पक्ष के हस्ताक्षर कराये गये
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

[illegible]
उमाशंकर
[illegible]
सुन्दरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री भगवत शरण त्यागी आर.ए.एस.

उनवान

रेवती उर्फ ओमप्रकाश **बनाम** टीका वगै0

1. रेवती उर्फ ओमप्रकाश उम्र 52 साल पुत्र श्री नेमी जाति कुशवाह निवासी ग्राम आमलीपाडा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

वादी :–

बनाम

1. टीका उम्र 65 साल पुत्र श्री नेमी जाति कुशवाह निवासी ग्राम आमलीपाडा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
2. रमजी उम्र 80 साल पुत्र श्री नेमी जाति कुशवाह निवासी ग्राम आमलीपाडा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0
3. नेकसिंह उम्र 45 साल पुत्र श्री नेमी जाति कुशवाह निवासी ग्राम आमलीपाडा बाडी तह0 बाडी जिला धौलपुर राज0

प्रतिवादीगण :–

4. तहसीलदार तहसील बाडी बहैसियत भूस्वामी

तरतीवी प्रतिवादी :–

उपस्थित वादी के वकील – श्री रवि पचौरी एड0
प्रति0 के वकील – श्री रविन्द्र शर्मा एड0

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0

दावा सं. 08/2025 दिनांक :– 25.03.2025

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :–

आराजी खसरा नम्बर 114 रकवा 0.3288 हैक्टेयर बांके ग्राम विदरपुर तह0 बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। विवादित आराजी में वादी 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 3/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं एवं मौके पर काविज रह कर काश्त कर रहे हैं। विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी के पिता नेमीचन्द थे, जिनका देहान्त आज से अर्सा करीव 26 साल पहले हो गया। बाद मृत्यु नेमीचन्द उनके वारिसान में उनके चार पुत्र वादी एवं प्रतिवादी मौजूद थे। जिन्होने उनका समस्त तर्का विरासतन प्राप्त किया। वादी को बचपन से ही दो नामों से पुकारा जाता था। वादी को घर पर रेवती नाम से पुकारते थे जबकि वादी का सही नाम ओमप्रकाश है। घर पर पुकारे जाने वाले नाम रेवती के कारण वादी के पिता नेमीचन्द की मृत्यु हो जाने के

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज.

उपरान्त विरासत के दाखिल खारिज खोलते समय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा वादी के घर के पुकारे जाने वाले नाम रेवती प्रसाद का राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर दिया। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर पहचान पत्र, अंकतालिका, पैन्शन दस्तावेजात व अन्य सभी पहचान के दस्तावेजात में वादी का नाम ओमप्रकाश दर्ज है। विवादित आराजी में दाखिल खारिज रेवती के नाम से हो गया। जबकि वादी का सही नाम रेवती उर्फ ओमप्रकाश है वादी को उक्त विरासत के दाखिल खारिज की जानकारी नहीं हो सकी कि वादी का नाम विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में रेवती उर्फ ओमप्रकाश के स्थान पर सिर्फ रेवती हो गया हैं। वादी का सही नाम रेवती उर्फ ओमप्रकाश है। वादी के ओमप्रकाश नाम से सारे स्कूल दस्तावेज वोटर आईडी, आधार कार्ड बने हुए हैं, लेकिन घर पर वादी को उपनाम रेवती कह कर पुकारते थे। जिस कारण पटवार हल्का द्वारा विवादित आराजी का विरासत का दाखिल खारिज खोलते समय वादी के सही नाम रेवती उर्फ ओमप्रकाश के स्थान पर गलत रूप से रेवती विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया। जिससे राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम रेवती उर्फ ओमप्रकाश नही आ सका। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में दाखिल खारिज खोलते समय वादी के नाम रेवती उर्फ ओमप्रकाश अंकित करना था। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रेवती दर्ज कर दिया है, जबकि वादी का सही नाम रेवती उर्फ ओमप्रकाश है, जिसकी जानकारी वादी को नही हो सकी। वादी को विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड की जानकारी दिनांक 28.12.2024 को वादी को रूपयों की जरूरत होने पर विवादित आराजी पर लोन लेने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकलें निकलवाई, तब राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया, तब वादी को इस बात की जानकारी हुई कि विवादित आराजी में भूल द्वारा वादी के नाम रेवती उर्फ ओमप्रकाश के स्थान पर रेवती कर दिया है। जिस कारण वादी को कृषि ऋण प्राप्त नहीं हो सका व उक्त राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्रतिवादीगण को हो जाने पर प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि तुम इस आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं हो। हम तुम्हें इस आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे। प्रतिवादीगण ने वादी को विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार होने से मना कर दिया एवं वादी को विवादित आराजी पर कोई भी राजकीय सुविधा प्राप्त नही हो पा रही हैं, जिसे वादी शुद्ध करा पाने का अधिकारी है। वादी उक्त राजस्व रिकार्ड की शुद्धी कराने हेतु हल्का पटवारी से मिला तो उसने वादी के नाम की शुद्धी करने से मना कर दिया व न्यायालय में वाद दायर कर अपना नाम शुद्ध कराने की कह कर लौटा दिया। हल्का पटवारी द्वारा वादी के नाम की शुद्धी करने से मना कर देने व प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी पर वादी के खातेदारी हकूकों से मना कर देने पर वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वादी जरिये न्यायालय वाद दायर कर विवादित आराजी में अपने आप को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करावे एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम रेवती को विलोपित कराते हुए उसके स्थान वर वादी के सही नाम रेवती उर्फ ओमप्रकाश का राजस्व रिकार्ड में अंकन करावे। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम का संशोधन नहीं हुआ तो वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार के हर्जे से संम्भव नहीं है।

इस प्रकार दावा पेश कर वादीया ने निवेदन किया कि :–

वाद वादी डिकी किया जाकर विवादित आराजी में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड से रेवती के स्थान पर रेवती उर्फ ओमप्रकाश दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दोनों पक्षों के मध्य हुए राजीनामा को प्रस्तुत कर वादी का दावा मुताबिक प्रार्थना डिकी किये जाने में सहमति व्यक्त की।

बहस वकील उभयपक्ष समाअत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं0 2076–79 में वादी का नाम रेवती पुत्र नेमी बतौर खातेदार अंकित है। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत अंकतालिका, वोटर पहचान पत्र, जनआधार, राशन कार्ड, आधार, पेन कार्ड व विकलांग प्रमाण पत्र एवं विकलांक पेंशन आदेश आदि में ओमप्रकाश अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त समस्त दस्तावेजात से यह सिद्ध होता है कि वादी का असल नाम ओमप्रकाश है तथा राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम रेवती बोलचाल का घरेलू नाम है। इसके अलावा प्रति0 द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर स्वीकारोक्ति का राजीनामा भी प्रस्तुत किया है। जो वादी द्वारा अपने दावे में अंकित किये गये तथ्यों की पुष्टि करता है। ऐसी स्थिति में वादी प्रश्नगत आराजी में अपने नाम को शुद्ध कराने की अधिकारी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में वादी का वाद डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक प्रार्थना डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0नं0 114 रकवा 0.3288 हैक्टेयर बांके ग्राम विदरपुर तह0 बाडी जिला धौलपुर में वादी का नाम रेवती पुत्र नेमी के स्थान पर रेवती उर्फ ओमप्रकाश राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। निर्णय मुताबिक डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.